त्रयोदश माला, खंड 1, अंक 4

सोमवार, 25 अक्तूबर, 1999
3 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

No. ...60
Date ...8/12/2K

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेंगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1999/1921 (शक)

अंक 4, सोमवार, 25 अक्तूबर, 1999/3 कार्तिक, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1–11
मंत्रियों का परिचय	12–13
निधन सम्बन्धी उल्लेख	13–22
सभा पटल पर रखे गए पत्र	22–23
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	24

लोक सभा

सोमवार, 25 अक्तूबर, 1999/3 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण—*जारी*

अध्यक्ष महोदयः महासचिव उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारेंगे जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं की है या प्रतिज्ञान नहीं किया है।

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़)

अपराह्न 12.47 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

महासचिवः महोदय मैं 25 अक्तूबर, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण***

माननीय सदस्यगण,

13वीं लोक सभा के चुनावों के पश्चात्, संसद के दोनों सदनों के इस प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं, नव-निर्वाचित सदस्यों सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

हाल ही में हुए संसदीय चुनाव इस शताब्दी के अंतिम चुनाव थे। इन चुनावों ने हमें अगली सदी की पहली लोक सभा दी है। अनेक सहस्त्राब्दियों के इतिहास वाले महान राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, भारत के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अतीत को गर्व और भविष्य को आशा एवं विश्वास के परिप्रेक्ष्य में देखें। हमने ऐसे कई मौके गंवाए हैं, जिनके कारण स्वतंत्र भारत चहुँमुखी प्रगति और समृद्धि से वंचित रह गया है, उन पर भी हमें विचार करना होगा। आइए, आज हम प्रण करें कि हम अपनी सामूहिक शक्ति, दृढ़-निश्चय और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना को अपनाकर ऐसे उज्जवल भविष्य का सपना साकार करें जो हमारा आह्वान कर रहा है।

आने वाला वर्ष भारतीय गणराज्य की स्थापना का 50वां वर्ष है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा रचित हमारे महान संविधान को अंगीकार करना इस प्राचीन राष्ट्र के इतिहास की एक गौरवमयी घटना थी जिसके फलस्वरूप एक स्वतंत्र और आधुनिक गणराज्य के रूप में इसका पुनर्जन्म हुआ। हमारे संविधान की उद्देशिका के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रारंभिक सूत्र-वाक्य "हम, भारत के लोग.....", के साथ एकता, संप्रभुता, लोकतंत्र एवं समता का चिरस्थायी संदेश देने वाले तेजस्वी शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ये शब्द, हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने महान स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और उनके फलस्वरूप निर्मित प्रबुद्ध संविधान के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें।

वे हमें महात्मा गांधी के उस आदर्श को प्राप्त करने हेतु काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले संविधान के लिए रखा था। 1931 में गांधी जी ने लिखा था: "मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूंगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुक्ति दिलाए। मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें गरीब से भी गरीब व्यक्ति यह महसूस करे, कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली भूमिका रही है; एक ऐसा भारत जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न कोई निम्न वर्ग; एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरी तरह मिल-जुल कर रहेंगे....यही है मेरे सपनों का भारत। इससे कम में मुझे संतुष्टि नहीं होगी।" क्या हम इससे कम में संतुष्ट हो सकते हैं?

हाल ही में हुए चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और भारतीय मतदाता की परिपक्वता को फिर से दोहराया है। मतदाताओं ने सरकार का स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देकर केन्द्र में अस्थायित्व के चरण को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी और सुसंगत साझेदारी से देश के कार्यों के प्रबंधन में क्षेत्रीय दलों की भागेदारी हमारे लोकतंत्र और संघीय राज-व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि "गौरवशाली, सम्पन्न भारत का एजेन्डा" जो सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है, में पंथनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघीय सौहार्द, सत्यनिष्ठा और सामाजिक-आर्थिक समानता के सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराया गया है। ये सिद्धांत हमारी प्राचीन सभ्यता के शाश्वत मूल्यों से गहरे जुड़े हैं और आधुनिक भारत की आधारशिला भी हैं। सरकार अपने साझे एजेन्डा में किए गए वायदों को पूर्णतः पूरा करेगी।

पिछली लोक सभा के भंग होने और तेरहवीं लोक सभा के चुनावों के बीच की अवधि में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ा। नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सीमा में सामरिक भू-क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने करगिल में जो सशस्त्र आक्रमण किया, उसे हमारे बहादुर जवानों, वायु सैनिकों और अधिकारियों ने दृढ़ता के साथ विफल कर दिया। पाकिस्तान को युद्ध के मैदान और राजनयिक दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। आज हम करगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान और वीरता राष्ट्र के लिए हर क्षण सदैव प्रेरणा और शक्ति के स्रोत बने रहेंगे।

---

* राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिया ।

** ग्रंथालय में भी रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.-2/99।

*** राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिन्दी रूपांतर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ रहे हमारे जवानों को पूरे देश का अभूतपूर्व समर्थन मिला। पूरा देश एकजुट हो कर खड़ा हो गया। ऐसे हर व्यक्ति ने, जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था, हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए खुले दिल से योगदान किया। हम "आपरेशन विजय" के दौरान शहीद हुए अथवा युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण अशक्त हुए हमारे बहादुर जवानों के परिवारों के पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। ऐसे परिवारों के कल्याण के लिए कई प्रकार की सहायता दी जा रही है।

करगिल युद्ध में भारत की विजय पर हम सबको गर्व है, पर इसमें बहुत संतुष्ट होने की बात नहीं है। करगिल युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य भागों में अचानक फैले आतंकवाद और सुरक्षा बलों पर हुए हमले इसका प्रमाण हैं। सरकार सभी विघटनकारी गतिविधियों को विफल करने और सभी मोर्चों पर चौकसी बरतने के लिए कृतसंकल्प है। करगिल युद्ध ने हमारी सुरक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को भी जरूरी बना दिया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः साधन-सम्पन्न हों।

हम, एक-समान और भेदभाव रहित आधार पर, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की नीतिगत-स्वायत्तता सुरक्षित रहे। यह इस प्रकार किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का वातावरण बनाने के संबंध में हमारे अपने मूल्यांकन को देखते हुए भारत के न्यायोचित सुरक्षा पहलुओं की समुचित रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सरकार को इस संबंध में और साथ ही एक विश्वसनीय परमाणु निवारक की स्थापना के संबंध में भी परामर्श देगी। परमाणु सिद्धांत का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है और सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थ-व्यवस्था में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। थोक मूल्य सूचकांक से आंकी गई मुद्रास्फीति लगभग दो प्रतिशत है जो पिछले दो दशकों में सबसे कम रही है। पिछले वर्ष विश्व में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक रही है और हमारा विदेशी मुद्राकोष लगभग 33 बिलियन अमरीकी डालर है, जो कि एक रिकार्ड है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, गरीबी पर काबू पाना हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। हमारे देश के करोड़ों लोगों, विशेष रूप से गांवों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेय जल, उचित आवास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी मुहैया कराई जानी हैं। हमारी अधिकांश जनता, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण महिलाओं के लिए निरक्षरता अभी भी एक अभिशाप बनी हुई है। लाखों युवक और युवतियां बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हालांकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जिन देशों ने पहल की है हम भी उनमें हैं, पर हम इस उद्देश्य में विफल रहे हैं। भविष्य के लिए एक नई नीति बनाते समय हमें इन गंभीर कमियों को दूर करना होगा।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य आधार है "रोजगार और समानता के साथ तीव्र विकास"। सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के लिए वचनबद्ध है। ये रोजगार मुख्य रूप से कृषि, कृषि पर आधारित व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग, आवास एवं निर्माण, सेवाएं तथा स्व-रोजगार के क्षेत्र में जुटाए जाएंगे तथापि, जब तक भारत कम से कम सात से आठ प्रतिशत की दर से उन्नति नहीं करता, तब तक हम किसी भी दशा में गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अनुभव हमें यह बताते हैं कि आर्थिक सुधारों की एक ठोस नीति का अनुसरण करके ही तीव्र और बहुत-क्षेत्रीय विकास संभव है। राष्ट्र के विकास की पुनः अभिमुखीकरण की नीति तीन बातों पर निर्भर करेगी जिसमें सरकार सुदृढ़ नीति और विनियामक नेतृत्व प्रदान करती है; निजी क्षेत्र गतिशीलता और प्रतियोगी वातावरण की क्षमता प्रदान करता है और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा नागरिक समाज लोगों की उत्साहजनक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस नीति में समाज, राज-व्यवस्था और प्रशासन के प्रत्येक भाग में एक नई विकास-परक सोच की आवश्यकता है जिससे कि अतीत से हटकर एक ठोस राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सके।

विकास की दिशा में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर, सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग से एक प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग बनाया गया है। महिला साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए एक कार्य-योजना शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इसके आलावा, ऐसी सभी बस्तियों में, जहां प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन नहीं हैं, प्राथमिक स्कूल भवनों की व्यवस्था का एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रियता से बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी, जिसका दोहरा उद्देश्य सभी नागरिकों को पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और जनसंख्या वृद्धि को कम करना होगा। जनता की अधिक भागीदारी के जरिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के इस्तेमाल को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी और गैर-सरकारी संयुक्त प्रयासों के जरिए विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा और त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सेवाओं में विशेषज्ञता अस्पताल, रोग निदान केन्द्र और संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं।

सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुधार पर फिर से बल देगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में बना पेय जल पूर्ति विभाग अगले पांच वर्षों के अन्दर सभी गांवों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करेगा। सभी गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ने का एक कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाएगा जिसके तहत बारहमासी सड़कें बनायी जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए पचास प्रतिशत डीजल उपकर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने के लिए "सब के लिए आवास" नामक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इनमें से 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और रोजगार सृजन मुख्यतः तेजी से विकसित हो रहे कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें कृषि पर आधारित उद्योगों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का भी योगदान है। कृषि के क्षेत्र में, सरकार द्वारा

वर्षा-पोषित कृषि के विकास, मृदा संरक्षण, बंजरभूमि विकास, जल विभाजक प्रबंध, कृषि ऋण पद्धति, बागवानी एवं पुष्प कृषि के संवर्धन, शीत-भण्डार गृह नेटवर्क के विस्तार, उर्वरक मूल्य-निर्धारण, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक खाद के प्रोत्साहन पर बल दिया जाएगा। फसल बीमा, फसल कटाई के बाद की व्यवस्था, कृषि उपज की कीमत निर्धारण और अधिप्राप्ति नीति, पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी प्रणालियां, आदि जैसे सहकारी-क्षेत्र के सुधारों पर भी इस नीति में जोर दिया जाएगा। अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की जाएगी।

जल की कमी तीव्रगति से एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। जब तक जल का समुचित रूप से संरक्षण और प्रबंध नहीं हो जाता तब तक यह देश की घरेलू, कृषि एवं उद्योगों की बढ़ती जल संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय जल नीति प्रस्तुत करेगी जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रशासनिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकीय समाधान करने में आसानी होगी जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़िया इस जीवन-दायी स्रोत से वंचित न रहें। अंतर्राज्यिक जल विवाद समुचित ढंग से सुलझा लिये जाएंगे। सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और वानिकीकरण की आवश्यकता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

आज तीव्र आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता है। सरकार एक सुदृढ़ नियामक तंत्र के अंदर और अधिक निजी निवेश के सिद्धांत का पालन करते हुए इस स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार राज्य बिजली बोर्डों के समयबद्ध निगमीकरण के लिए राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण संबधी कार्य अलग-अलग रूप में किए जाएंगे। टैरिफ सुधार, विद्युत संचरण और वितरण प्रणाली के निजीकरण और राज्य बिजली विनियमन आयोगों की स्थापना संबंधी कार्यों को त्वरित गति से किया जाएगा। "हाइड्रो-कार्बन-विजन 2020" नामक रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कुछ समय पहले एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसकी सिफारिशें कार्यान्वित की जाएंगी। प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। महत्वपूर्ण कोयला उद्योग के विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन विभाग में पुनर्गठित किया गया है। एकीकृत परिवहन नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित कर सके। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण मार्ग भी हैं। एक समर्पित सड़क निधि बनाई जाएगी। एक रेल सुधार आयोग की शीघ्र स्थापना की जाएगी जिससे कि संसाधन जुटाने की एक नयी नीति बनाने, टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, परियोजना संविभाग को प्राथमिकता देने और रेल सुरक्षा की अपूर्ण आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने संबंधी कार्य किये जा सकें। विद्यमान बन्दरगाहों की कार्य क्षमता सुधारने, कुछ वृहद् बन्दरगाहों को निगमीकृत करने, और नए बन्दरगाहों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। एक नई नागर विमानन नीति तैयार की जाएगी, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए हमारे हवाई-अड्डों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम को भी समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

नई दूरसंचार नीति-1999 को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि लोगों को न्यूनतम संभव मूल्य पर विश्व स्तरीय दूरसंचार सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। जिन गांवों में यह सुविधा नहीं है, उनके लिए एक विशेष योजना बनाकर निश्चित समय-सीमा के भीतर ग्रामीण दूरभाष सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। भारत दूरसंचार के रूप में, दूरसंचार विभाग का निगमीकरण कार्य तीव्र गति से पूरा किया जाएगा। प्रथम कदम के रूप में, निर्णय लेने वाली इकाई को सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई से अलग करने के लिए नया दूरसंचार सेवा विभाग बनाया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके निवेशकर्ता का विश्वास बढ़ाने और जनता एवं निजी आपरेटरों के मध्य एक आधार बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक नए विधान की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा जिससे कि भारत दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीविजन और इलैक्ट्रानिकी के बीच प्रौद्योगिकी विकास से सृजित नए अवसरों का लाभ उठा सके।

एक नया सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा अकादमियों, भारतीय निजी क्षेत्र तथा विदेशों में स्थित सफल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायियों के सभी प्रयासों में मदद देने के लिए केन्द्रीय संस्थागत तंत्र होगा। यह मंत्रालय एक व्यापक कार्य योजना कार्यान्वित करेगा जिससे कि भारत अगली सदी के प्रारंभ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन सके और सन् 2008 तक सॉफ्टवेयर निर्यात में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह भारत में इन्टरनेट क्रांति में तीव्रता लाएगा जिससें भारतीय भाषाओं में उपयोगी सामग्री तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, हार्डवेयर विनिर्माण और निर्यात, ई-कामर्स और इन्टरनेट पर आधारित उद्यमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें लाखों भारतीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन और व्यापार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। ई-कामर्स को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक विधान बनाया जाएगा। फार्मास्युटिकल और ज्ञान पर आधारित अन्य उद्यमों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिससे भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सके। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व, अपनी सभी महत्वपूर्ण कम्प्यूटर प्रणालियों में वाई 2 के की समस्या का निवारण करने की दिशा में अग्रसर है।

आधारभूत संरचना संबंधी इन सभी उपायों से भारत के औद्योगिक आधार, विशेषकर लघु और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एक बड़े तथा अब तक उपेक्षित क्षेत्र के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी। समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने जिसमें ऋण गारंटी योजना का कार्यान्वयन शामिल है, मार्किटिंग, प्रौद्योगिकीय उन्नति, कौशल सुधार और मुख्य रूप से नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को खत्म करने जैसी इस क्षेत्र की बहु-आयामी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लघु उद्योग क्षेत्र में

कुछ ध्यानपूर्वक चुने गए उद्योगों के नियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जिनमें निर्यात और रोजगार सृजन की काफी संभावना है। सरकार, विशेष रूप से एम.एफ.ए. व्यवस्था के बाद की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय कपड़ा उद्योग की काफी समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक और चिरस्थायी प्रयास करेगी। भारतीय कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वे विश्व बाजारों में अपना परम्परागत उच्च स्थान वापस पा सकें।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध पद्धतियां अपनाकर तीव्र आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार और अधिक पारदर्शिता लाने, परियोजना कार्यान्वित करने में होने वाले विलम्ब को कम करने तथा प्रतिवर्ष कम से कम 10 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने की एक समर्थ नीति बनाने के लिए वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली की समीक्षा करेगी। ध्यानपूर्वक चुने गए कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति के लिए एक स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया होगी।

हम, उन्नत व्यय व्यवस्था के जरिये राजकोषीय आय-व्यय के सहीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे, कर ढांचे में व्यापक सुधार करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की और तेजी से पुनर्संरचना करेंगे तथा उनमें विनिवेश करेंगे। एक व्यय आयोग का शीघ्र ही गठन किया जाएगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की सब्सिडी की समीक्षा करेगा, सभी चालू व्यय मदों तथा योजनाओं की जांच करेगा और सरकारी आकार कम करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा। कर सुधार संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर ढांचों में सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश करेगी। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करके तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों को सख्ती से लागू करके बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सुधार में तेजी लाई जाएगी। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए दिवालियापन, पुरोबंध, ऋण वसूली और विलय संबंधी आवश्यक विधान बनाया जाएगा।

सरकार आर्थिक सुधारों के नए परिवेश में, श्रमिकों, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हितों के संवर्धन के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। दूसरा श्रम आयोग विभिन्न श्रम कानूनों में आवश्यक परिवर्तनों का अध्ययन करेगा जिससे श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य किये जा सकें, उनके लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाए जा सकें और तीव्र औद्योगिक विकास हो सके तथा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार न्यायिक प्रणाली में उपयुक्त सुधार करके न्याय दिलाने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूर्णतः सम्मान किया जाएगा और न्यायिक खण्डपीठ में योग्यतम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के प्रयास किये जाएंगे। सरकार ने कुछ समय पहले उन मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों का अध्ययन किया था जो पुराने पड़ चुके हैं और तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर ऐसे पुराने और अनावश्यक कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में, भारत राष्ट्रीय हितों की और अधिक रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार आगामी सीएटल सम्मेलन के लिए एक सुविचारित नीति तैयार कर रही है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विश्व व्यापार संगठन के विचार-विमर्श के किसी भी नए दौर में भारत के राष्ट्रीय हित पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और विश्व व्यापार में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले।

सरकार, सामाजिक-आर्थिक विकास की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, बुनियादी अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रयास करेगी। भारतीय उद्योग, केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्राद्योगिकी संस्थाओं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आई.सी.एम.आर. और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बायो-टेक्नॉलाजी और समुद्री विकास विभागों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाया जाएगा। 'जय विज्ञान' के संदेश को देखते हुए, हमारे बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने और समस्या का समाधान ढूंढने में उनके दृष्टिकोण का विकास करने और उभरती हुई युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे।

सरकार भारत के शहरी क्षेत्रों को एक नई दिशा देने और हमारे शहरों का व्यवस्थित, स्वस्थ और गतिशील विकास करने का प्रयास करेगी जो शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए जरूरी है। नागरिक सेवाओं का स्तर बढ़ाने और नगर निकायों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार रचनात्मक कार्यकलापों, खेल, कला और संस्कृति में उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी को नए सिरे से प्रोत्साहित करने के लिए देश भर के हजारों युवाओं और छात्र संगठनों के प्रयासों पर अपना ध्यान देगी और इसके लिए मदद देगी। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की भावना को पुनर्जागृत करना और हमारे प्रतिभावान युवाओं को विश्व स्तरीय उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सक्षम बनाना होगा।

आंतरिक सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। सरकार भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा भाषा के हों। पिछले वर्ष हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं गत दशक में सबसे कम रही हैं। सरकार दंगा रहित व आतंकवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिए पहले से ही प्रभावी कदम उठाने में लगी हुई है।

पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस राज्य में शिक्षा, पर्यटन और अन्य आर्थिक कार्यकलाप तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में 1,10,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया। ऐसा होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर में आंतकवाद अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हम इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला करेंगे और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता देंगे। पाकिस्तान ने, करगिल में अपनी करारी हार के बाद, भारत के विरुद्ध परोक्ष युद्ध तेज कर दिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना था। तथापि, इन राज्यों की जनता ने एक बार फिर

आतंकवादियों की गोलियों का मुकाबला करते हुए मत का विकल्प चुना। उन्होंने भारत की एकता व पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में अपनी आस्था का स्पष्ट समर्थन किया है और मजहबी अलगाववाद को नकार दिया है।

प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि सरकार, आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। साथ ही, सरकार सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के घातक प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करती रहेगी, जिसने सम्पूर्ण विश्व में अनगिनत लोगों की जाने ली हैं। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य की कमी नहीं है कि राज्य समर्थित आंतकवाद ने दक्षिण एशिया और उससे परे भी शांति एवं स्थिरता को किस कदर प्रभावित किया है। भारत विश्व के किसी भी भाग में राज्य समर्थित आंतकवाद के विरुद्ध सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार, मनी-लॉंडरिंग और स्वापक-आंतकवाद के खतरे से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा प्रभावी ढंग से निपटना है।

सरकार पूर्वोत्तर परिषद् का शीघ्र पुनर्गठन करेगी जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का समाजिक-आर्थिक विकास और तेजी से हो सके। पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1998 शीघ्र ही लाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक विशेष योजना शुरू की गई है। आशा है कि राज्य पुलिस बल शीघ्र ही विद्रोह और कानून व व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाएंगे। भारत-बांग्लादेश सीमा के शेष भाग पर शीघ्र ही बाड़ लगाई जाएगी।

केन्द्र-राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध, एक स्वस्थ संघीय शासन-व्यवस्था तथा संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने के लिए मूल आधार हैं। इस संबंध में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की लंबित सिफारिशों पर विचार किया जाएगा जिससे कि उनका शीघ्र कार्यान्वयन हो सके। मेरी सरकार का मत है कि राज्यों के पास ज्यादा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होने चाहिए और पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से सबसे निचले स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

सरकार एक आयोग नियुक्त करेगी जो संविधान के पचास वर्षों के अनुभव का अध्ययन करेगा और अगली शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगा। इस आयोग में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और जन-प्रतिनिधि होंगे। सरकार, केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की वर्तमान पद्धति के स्थान पर 'अविश्वास का विकल्प मत' की पद्धति अंगीकार करने और लोक सभा तथा विधान सभाओं का पूरा कार्यकाल सुनिश्चित करने की जांच भी करेगी।

महिलाओं को अधिकार देने और बालिकाओं के पालन-पोषण की सुव्यवस्था के बिना, कोई भी राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता। तीव्र विकास की कुछ चमत्कारी कहानियां महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारिता से जुड़ी हुई हैं। सरकार का विचार है कि संसद और राज्य विधान सभाओं में, विधान द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं। इसके अतिरिक्त, हम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कालेज स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे और लघु एवं अति लघु क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित करेंगे। नारी-शक्ति एक आधुनिक और गतिशील भारतीय समाज का निर्माण करेगी।

हम समुचित कानूनी, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों के जरिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम बड़े पैमाने पर शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। हम अपने समाज से छुआछूत के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और दस वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे 50 प्रतिशत से ऊपर के आरक्षण को विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलाई जाएगी। सरकार ने जनजातीय लोगों के सर्वांगीण कल्याण के उद्देश्य वाली नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पहले ही एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय बना दिया है।

यदि चुनावों को सही मायने में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाना है जो बाहुबल और धनबल के चंगुल से मुक्त हों, तो उसके लिए व्यापक चुनाव सुधार आवश्यक है। हमारे चुनाव कानूनों में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता पर मोटे तौर पर आम सहमति पहले से ही बनी हुई है। सरकार हमारे लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए शीघ्र ही एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी। सरकार परोक्ष मतदान की पद्धति लागू करके रक्षा व सुरक्षा बलों के मताधिकार भी सुनिश्चित करेगी।

भ्रष्टाचार का नासूर हमारे राष्ट्र की प्रत्येक संस्था को खाए जा रहा है। सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, लोकपाल विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। इसके दायरे में अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री पद को भी लाया जाएगा। सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक भी अधिनियमित करेगी।

निरंतरता और सर्व-सम्मति सदैव भारत की विदेश नीति के आधार रहे हैं। एक के बाद एक सरकारों ने विश्व परिदृश्य में भारत के लिए एक ऐसा स्थान, भूमिका और स्थिति सुरक्षित करने में अपनी वचनबद्धता दर्शायी है, जो इसके आकार और महत्व के अनुरूप हो।

हाल ही में पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता को हाथ में लेना गंभीर चिंता का विषय है। केवल लोकतंत्र ही देशों तथा लोगों के मध्य शांति, समझबूझ तथा सहयोग स्थापित कर सकता है। हम पाकिस्तान की स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखे हुए हैं। हमने प्रायः सभी विषयों पर एक साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी और लाहौर घोषणा के जरिए इसे लागू करना चाहते थे। पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में सीमापार से होने वाले आतंकवाद को रोकना होगा तथा भारत के विरुद्ध किए जा रहे वैमनस्य का प्रचार भी खत्म करना होगा।

अफगानिस्तान की स्थिति का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने तथा एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जब अफगानिस्तान आतंकवाद, मादक द्रव्यों तथा घातक अस्थिरता के कारण टूट कर बिखर रहा था, दुर्भाग्य से तब विश्व निष्क्रिय रूप से यह देखता रहा। परिणामस्वरूप, भारत के सुरक्षात्मक हितों पर इसका प्रभाव पड़ा है। हम अफगानिस्तान में

स्थायित्व की शीघ्र बहाली के लिए, समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में बाहरी हस्तक्षेप समाप्त हो।

हाल के वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालदीव के साथ भारत की पारम्परिक घनिष्ठ मैत्री और सहयोग काफी सुदृढ़ हुए हैं तथा 'सार्क' देशों के साथ आपसी विचार-विमर्श में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम इन पड़ोसी देशों के साथ और 'सार्क' क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे ताकि इस क्षेत्र में सहयोग की प्रवृत्ति को बनाए रखा जा सके। भारत दक्षिणी अफ्रीका, मारीशस, गुयाना तथा त्रिनिडाड एंव टोबैगो, फिजी और ऐसे ही अन्य देशों जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, के साथ सांस्कृतिक तथा आर्थिक रिश्तों को और घनिष्ठ बनाएगा।

भारत अपनी और अमेरिका की साझी मान्यताओं एवं आदर्शों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ट एवं व्यापक बनाना चाहता है। हम रूस के साथ अपने परम्परागत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम सद्भावना और आपसी हितों की दृष्टि से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के साथ-साथ यूरापीय संघ के अन्य सदस्य देशों और जापान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। हम चीन से अपनी बातचीत जारी रखेंगे ताकि उसके साथ हमारे संबंधों में और सुधार हो एवं उनमें व्यापकता लाई जाए। भारत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा प्रशांत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण और निरन्तर बढ़ते संबंधों को काफी महत्व देता है। डरबन में होने वाला राष्ट्र-मण्डल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन (चोगम) क्षेत्रीय तथा विश्व महत्व के विविध विषयों पर भारत के विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उपयोगी मंच होगा।

मेरी सरकार विश्व के अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने नीतिगत साझेदारों तथा मुख्य संभाषियों के साथ घनिष्ठ समझ-बूझ बनाए रखेगी और उसे विकसित करेगी। हम और अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके घटकों के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखेंगे। विश्व परिषदों में विकासशील देशों की और भूमिका होने से बहु-अपेक्षित स्थिरता आएगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में न्याय मिल सकेगा।

माननीय सदस्यगण, 13वीं लोक सभा में आपके समक्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण परन्तु साथ ही प्रतिफलदायक कार्य हैं। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है उन्हें आपसे काफी अपेक्षाएं हैं। वे लोग आशा करते हैं कि संसद की कार्यवाही उच्च स्तर की होगी और आप सभी सदस्य अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर आपसी सहमति व सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। इस संदर्भ में, मैं माननीय अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 13वीं लोक सभा को बधाई देता हूं। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि संसद के आगामी सत्र में तथा इसके बाद के सत्रों में दोनों सदनों में रचनात्मक परिचर्चा होगी जिससे सभी विधायी तथा अन्य निर्धारित कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किए जा सकेंगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.48 बजे

मंत्रियों का परिचय—*जारी*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं मंत्रि-परिषद में अपने सहयोगी राज्य मंत्रियों का आपको और आपके माध्यम से सभा को परिचय देता हूं:

	राज्य मंत्री
श्री रमेश बैस	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंह राव गायकवाड़ पाटील	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री इसके अलावा वे संसदीय कार्यमंत्री की भी सहायता करेंगे।
श्री चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी॰ धनंजय कुमार	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंगारु लक्ष्मण	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा गड़ाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनिलाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजित कुमार पांजा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा॰ देवेन्द्र प्रधान	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई॰ पुन्नुस्वामी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए॰ राजा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ओ॰ राजगोपाल	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा॰ रमन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सी॰एच॰ विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बच्ची सिंह रावत	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भा॰ चौबा सिंह	संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आई॰ डी॰ स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो॰ रीता वर्मा	खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

अपराह्न 12.53 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज मेरे पास निधन संबंधी उल्लेख की लम्बी सूची है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी बात धैर्य से सुनें।

माननीय सदस्यों, हम अपने उन पूर्व सहयोगियों का निधन संबंधी उल्लेख करने जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे किन्तु उससे पूर्व हम तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति श्री जुलियस न्येरेरे के निधन का उल्लेख करते हैं। यह सभा तंजानिया के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री जुलियस न्येरेरे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है। उनकी मृत्यु 14 अक्तूबर, 1999 को हुई। उनकी मृत्यु से विश्व ने एक सुप्रसिद्ध नेता एवं भारत ने एक महान मित्र खो दिया है।

राष्ट्रपति न्येरेरे का बहुआयामी जीवन एक युग पर्यंत चला। उनका जीवन तंजानिया एवं अफ्रीका तथा सम्पूर्ण विकासशील देशों के लिए सर्वदा एक प्रेरक विरासत के रूप में संजोया जाएगा। वे सम्पूर्ण विकासशील देशों के लिए आत्मनिर्भरता की आकांक्षा के प्रतीक थे। हम घृणित रंगभेद नीति सहित उपनिवेशवाद के अवशेषों के विरुद्ध संघर्ष के संबंध में उनकी वैचारिक स्पष्टता को याद करते हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति के उपरांत विश्व में सम्मान के साथ स्वतंत्रता, समान आर्थिक विकास एवं समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्रतिपादित मूल्यों को उन्होंने प्रसारित करने का कार्य किया।

जुलियस न्येरेरे की स्मृति का भारत के लिए हमेशा विशेष महत्व रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय विषयों की समझ-बूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार एवं गांधी शांति पुरस्कार से इस महान राजनेता को सम्मानित कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं।

यह सभा तंजानिया की जनता, वहां की सरकार एवं दिवंगत राष्ट्रपति के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

मैं सभा के अठारह पूर्व सहयोगियों, सर्वश्री खुदीराम माहटा, एन॰टी॰ दास, अमर सिंह डामर, श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया, सर्वश्री जे॰एम॰ लोबो प्रभु, सिधा लाल मुरमू, अमरनाथ चावला, चौ॰ लच्छी राम, श्री जे॰ वेंगल राव, प्रो॰ पराग चालिहा, श्री के॰एन॰सिंह, राजमाता कमलेन्दु मती शाह, डा॰ (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, सर्वश्री ब्रज मोहन मोहन्ती, कल्पनाथ राय, आचार्य भगवान देव और सर्वश्री यादवेन्द्र दत्त और दादा बाबूराव परांजपे के दुखद निधन से भी अवगत कराता हूँ।

श्री खुदीराम माहटा 1950 से 1952 तक अन्तरिम संसद के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से वकील श्री माहटा ने 1948 और 1949 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कार्य किया। ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे जिनमें उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया।

श्री खुदीराम माहटा का 17 फरवरी, 1999 को 80 वर्ष की आयु में पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में निधन हुआ।

श्री एन॰टी॰ दास पहली से चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने 1952 से 1970 तक बिहार के मुंगेर तथा जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वह 1977 में बिहार विधान सभा के लिए चुने गए।

श्री दास पेशे से कृषक थे और एक जाने माने सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वे विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे तथा उन्होंने उनमें विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयास किए।

श्री दास एक सक्रिय सांसद थे और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री एन॰टी॰ दास का निधन 16 अप्रैल, 1999 को मुंगेर, बिहार में हुआ। उस समय उनकी आयु 84 वर्ष थी।

श्री अमर सिंह डामर पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1952 से 1962 तक मध्य प्रदेश के झबुआ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री डामर एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए।

श्री डामर पेशे से कृषक थे और एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सतत् प्रयास किए।

वह एक योग्य सांसद थे उन्होंने सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसमें बहुमूल्य योगदान किया।

श्री अमर सिंह डामर का निधन 30 अप्रैल, 1999 को झबुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। उस समय उनकी आयु 74 वर्ष थी।

श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया आठवीं लोक सभा की सदस्य थीं। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती सुखाड़िया एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थी। वह अपने राज्य में सामाजिक सुधार कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। वह राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड तथा महिला मंडल, उदयपुर की अध्यक्ष रहीं। उन्होंने दलितों के कल्याण के लिए सतत् प्रयास किए।

उन्होंने एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में राज्य के विकास कार्यों में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अपने पति श्री मोहन लाल सुखाड़िया की सहायता की।

वह एक सक्रिय सांसद थी और उन्होंने सदन की कार्यवाही में गहन रुचि ली और इसमें बहुमूल्य योगदान किया।

श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया का निधन 8 मई, 1999 को उदयपुर, राजस्थान में हुआ। उस समय उनकी आयु 78 वर्ष थी।

श्री जे॰एम॰ लोबो प्रभु चौथी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1967 से 1970 तक पूर्व मैसूर राज्य के उडिपि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री प्रभु एक ख्यातिप्राप्त प्रशासक थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (आई॰सी॰एस॰) से 1959 में अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व उत्तर प्रदेश तथा पूर्व मद्रास राज्य के विभिन्न जिलों में कलक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने केन्द्र सरकार में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया ।

श्री प्रभु एक विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक ''इनसाइट'' का संपादन किया। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति पर अनेक सम्पादकीय लेख लिखे जिनके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। उनके प्रकाशनों में ''मदर आफ न्यू इंडिया'' ''डैथ एडीकेट्स, ''कलैक्टिड प्लेज'', न्यू थिंकिंग और ''सैंकड प्लान एक्सरेड'' शामिल हैं।

श्री लोबो प्रभु का निधन 14 मई, 1999 को मंगलौर, कर्नाटक में हुआ। उस समय उनकी आयु 93 वर्ष थी।

श्री सिधा लाल मुरमू आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1984 से 1989 तक उड़ीसा के मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री मुरमू 1971 से 1973 और 1980 से 1984 तक उड़ीसा विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1971-72 के दौरान श्रम, रोजगार एवं आवास विभाग के केबिनेट मंत्री के रूप में राज्य सरकार की सेवा की।

व्यवसाय से कृषक, श्री मुरमू एक विख्यात सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में विशेष रुचि ली। वह वर्ष 1960 में आदिवासी सामाजिक-शैक्षिक सांस्कृतिक संगठन, उड़ीसा से सम्बद्ध रहे।

एक योग्य सांसद, श्री मुरमू 1987 से 1990 तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा 1989-90 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। वह पद-दलितों की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान निरन्तर आकर्षित करते रहे।

श्री सिधा लाल मुरमू का निधन 64 वर्ष की आयु में 4 जून,1999 को मयूर भंज, उड़ीसा में हुआ।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री अमरनाथ चावला पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1971 से 1974 तक दिल्ली के सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री चावला दिल्ली के एक विख्यात एवं विशिष्ट व्यक्ति थे। वह अलग-अलग हैसियत से दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने देश में सिंचाई एवं विद्युत, निर्माण एवं आवास, प्रशासन और औद्योगिक विकास तथा व्यापार विकास में गहरी रुचि ली।

एक योग्य सांसद, श्री चावला 1971 के दौरान निर्वाचन विधि संशोधन संबंधी संयुक्त समिति,1972 से 1974 तक दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट तथा 1973 के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री चावला ने साम्प्रदायिक सौहार्द, समाज के गरीब वर्गों के उत्थान तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रोत्साहन के लिए अथक कार्य किया।

श्री अमरनाथ चावला का निधन 5 जून, 1999 को दिल्ली में हुआ। उस समय उनकी आयु 85 वर्ष थी।

चौधरी लच्छी राम 1957 से 1962 और 1984 से 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश के क्रमशः हमीरपुर और जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से दूसरी एवं आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से व्यापारी, चौधरी लच्छी राम एक सक्रिय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह अलग-अलग हैसियत के रूप में विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संगठनों से जुड़े रहे।

एक योग्य सांसद चौधरी लच्छी राम 1987 से 1989 तक ''सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति'' और 1989 के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, चौधरी लच्छी राम ने गरीबों के उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षित बनाने एवं पददलितों में व्याप्त कतिपय सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास किए।

चौधरी लच्छी राम का निधन 11 जून, 1999 को जालौन उत्तर प्रदेश में हुआ। उस समय उनकी आयु 85 वर्ष थी।

श्री जे॰ वेंगल राव आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे और 1984 से 1991 तक उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के खम्माम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री जे॰ वेंगल राव 1962 से 1978 तक आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और 1969 से 1971 के दौरान वह आन्ध्र प्रदेश के गृह मंत्री तथा 1972 से 1973 के दौरान राज्य में उद्योग मंत्री रहे।

1973 से 1978 तक वह आन्ध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री रहे। वह एक योग्य प्रशासक थे और राज्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

1986 से 1989 तक वह केन्द्रीय उद्योग मंत्री रहे। एक योग्य सांसद के रूप में उन्होंने सभा का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।

1947-48 के दौरान हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के दौरान वह दो बार जेल गए।

उन्होंने देश-विदेश का व्यापक भ्रमण किया। विभिन्न भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्य के रूप में श्री वेंगल राव संयुक्त राज्य अमरीका, इंगलैंड, जापान, थाईलैंड और मलेशिया गए।

श्री वेंगल राव का निधन 12 जून, 1999 को हैदराबाद में हुआ। उस समय उनकी आयु 77 वर्ष थी।

प्रो॰ पराग चालिहा आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। 1985 से 1989 तक उन्होंने असम के जोरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में वह राज्य सभा के सदस्य थे।

वह एक योग्य सांसद थे और लोक सभा की विभिन्न संसदीय समितियों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के सदस्य थे।

स्वतंत्रता सेनानी पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के कारण प्रो॰ चालिहा ने 1939 से ब्रिटिश विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में शिवसागर में "भारत छोड़ो आन्दोलन" का नेतृत्व करते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। 1979 से उन्होंने असम आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रो॰ चालिहा एक अध्यापक, प्रशासक और ललित कला के समर्थक थे। उन्होंने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक कार्य किए और शिवसागर महाविद्यालय की स्थापना की जो कि देश की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था है। उन्हें असम के महान कवि एन॰एन॰ बेजबरूआ के नाम से शुरू किए गए सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में असमिया भाषा विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने शिवसागर में स्यूजिया समाज और एस॰एस॰ संगीत विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने जनता के चंदे से उत्तर पूर्व भारत के सबसे अधिक प्रतिष्ठित कला केन्द्र शिवसागर नाट्य मंदिर की स्थापना की और अन्य अनेक शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना की।

प्रो॰ चालिहा एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखीं। उनके प्रकाशनों में असम के इतिहास के 4000 वर्षों पर आधारित एक-पात्रीय नाटक "चारी हेजार बछरारे असम" शामिल है और अंग्रेजी में आउटलुक ऑन एन॰ई॰एफ॰ए॰ तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र इत्यादि की झांकियों पर आधारित 'सीमान्तर सम्भेद' शामिल हैं। श्री चालिहा ने अनेक देशों की यात्रा की थी, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 1970 में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में पूर्व जर्मनी गए और सिओल ओलंपिक दल के सदस्य के रूप में 1988 में दक्षिण कोरिया गए थे। प्रो॰ पराग चालिहा का निधन 22 जून, 1999 को असम के शिवसागर में 75 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के॰ एन॰ सिंह चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1970 से 1977 तक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर तथा 1984-1989 तक डापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1990 से 1996 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने 1971-74 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य विभाग के उपमंत्री के रूप में कार्य किया तथा 1974-77 के दौरान वह कृषि और सिंचाई मंत्रालय में रहे।

व्यवसाय से वकील श्री सिंह ने 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1947-55 के दौरान सभी छात्र आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभायी। उत्तर प्रदेश में 1956-63 के दौरान किसान आन्दोलन में उन्हें दो बार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्री सिंह ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों और विधियों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विद्यालय भी खोले।

श्री के॰एन॰ सिंह का निधन 71 वर्ष की आयु में 1 जुलाई, 1999 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

राजमाता कमलेन्दुमती शाह पहली लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिला (पश्चिम) तथा बिजनौर जिला टेहरी उत्तरी चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक कुशल सांसद, राजमाता शाह ने सदन की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया। एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता राजमाता शाह ने महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया।

समाज को उनके द्वारा दी गयी सेवा के मान स्वरूप 1958 में उन्हें "पद्म भूषण" से सम्मानित किया गया। राजमाता का निधन 96 वर्ष की आयु में 15 जुलाई, 1999 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ।

डा॰ (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने 1980-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व, डा॰ (श्रीमती) वाजपेयी 1962 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 1970-77 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अपनी छाप छोड़ी। वह 1985-89 के दौरान मंत्रिपरिषद की सदस्य भी रहीं। वह 1995-1998 तक पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रहीं।

एक विख्यात सांसद, डा० (श्रीमती) वाजपेयी 1980 से 1982 तक सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सभापति रहीं। वह लोक सभा की सदस्यता के दौरान अनेक संसदीय और परामर्शदात्री समितियों की भी सदस्य रहीं।

व्यवसाय से अध्यापक, डा० (श्रीमती) वाजपेयी एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने 1942 के "भारत छोड़ो आन्दोलन" में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने दलित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अनथक कार्य किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की।

डा० (श्रीमती) वाजपेयी ने अनेक देशों की यात्राएं कीं और 1980 में राष्ट्रसंघ गए भारतीय शिष्टमंडल की सदस्य रहीं। उन्होंने 1976 में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन, 1983 में प्राग में आयोजित विश्व शान्ति सम्मेलन और जापान सामाजिक पुनर्वास विश्व सम्मेलन में गए भारतीय शिष्टमंडल की दो बार अगुवाई की।

डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी का निधन 74 वर्ष की आयु में 17 जुलाई, 1999 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री ब्रजमोहन मोहन्ती सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1980 से 1989 तक उड़ीसा के पुरी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक कुशल प्रशासक श्री मोहन्ती 1980 से 1983 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उप मंत्री रहे तथा उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

इसके पूर्व श्री मोहन्ती 1967-1977 के दौरान उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1974 से 1977 तक उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। वह 1971 में उड़ीसा विधान सभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वह उड़ीसा राज्य सरकार में 1972-73 के दौरान मंत्री भी रहे।

एक सक्रिय सांसद, श्री मोहन्ती विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। वे पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी थे।

श्री मोहन्ती ने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भी भाग लिया था।

श्री मोहन्ती पेशे से वकील थे और 1965-66 के दौरान वह सतर्कता मामलों के एसोसियेट प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर रहे।

एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वे विभिन्न पदों पर रहकर कई संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने महिलाओं तथा समाज के निर्धन वर्गों के लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से कार्य किया। वह पुरी महिला कॉलेज और नीमपड़ा कॉलेज के संस्थापक सदस्य भी थे।

श्री मोहन्ती ने कई देशों की यात्रा की तथा वह 1973 में मास्को के लिए विश्व शांति कांग्रेस तथा 1976 में मॉरीशस में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री मोहन्ती एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में कई लेख लिखे।

श्री ब्रज मोहन मोहन्ती का निधन 75 वर्ष की आयु में 24 जुलाई, 1999 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हुआ।

श्री कल्पनाथ राय ने 1989 से 1999 तक नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के दौरान लगातार चार बार उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह तीन बार 1974, 1980 और 1986 में राज्य सभा के लिए चुने गए।

श्री कल्पनाथ राय एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने नौ वर्षों तक केन्द्रीय मंत्री के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया जिनमें संसदीय कार्य, उद्योग, ऊर्जा, विद्युत तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत और खाद्य मंत्रालय शामिल हैं।

एक जाने-माने सांसद, श्री राय विभिन्न संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा लोगों की शिकायतों को निर्भयता से सदन में उठाया।

पेशे से वकील और कृषक, श्री राय एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा दलितों के कल्याण में गहरी रुचि दिखाई।

श्री कल्पनाथ राय का निधन 58 वर्ष की आयु में 6 अगस्त, 1999 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु से देश ने एक जाने-माने सामाजिक और राजनैतिक नेता और ग्रामीण जनता का हितैषी खो दिया है।

आचार्य भगवान देव सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1980 से 1984 तक राजस्थान के अजमेर संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल प्रशासक आचार्य भगवान देव, 1980 से 1984 तक राजभाषा संबंधी समिति के सदस्य भी थे।

आचार्य भगवान देव एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्हें गोवा मुक्ति आन्दोलन के संबंध में कई बार जेल भेजा गया। उन्होंने महर्षि दयानन्द योगाश्रम सोसायटी और अखिल भारतीय योग विज्ञान परिषद् में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह विभिन्न पदों पर रहकर अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े।

आचार्य भगवान देव एक विद्वान व्यक्ति थे और वह अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में सुविज्ञ थे।

योग के प्रचारक के रूप में उन्होंने योग के सिद्धान्तों पर कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने सिंधी के साथ-साथ गुजराती में भी पुस्तकें और लेख लिखे थे। वह मासिक प्रकाशन 'योग मन्दिर' के संपादक भी थे।

आचार्य भगवान देव का निधन 64 वर्ष की आयु में 14 अगस्त, 1999 को दिल्ली में हुआ।

श्री यादवेन्द्र दत्त उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा और 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व वह 1957 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

पेशे से कृषक, वह सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और खेलों में गहरी रुचि रखते थे।

श्री दत्त एक जाने-माने सांसद थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति भी रहे। वे 1990 में विदेश मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

विद्वान श्री दत्त ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनमें से कुछ हैं 'शेर शिकारी', 'वन पशुओं के बीच', 'आखेट', और 'अद्‌भुत शिकार',। आखेट नामक पुस्तक के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिन्दी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री यादवेन्द्र दत्त का निधन 9 सितम्बर, 1999 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 81 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री दादा बाबूराव परांजपे मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के क्रमशः 1982-84, 1989-91, 1996-97 और 1998-99 में सदस्य रहे।

पेशे से व्यापारी, श्री परांजपे सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के नगर निगम के पार्षद रहे और वे तत्पश्चात् 1957 से 1975 के बीच मेयर भी रहे।

श्री परांजपे जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए। उन्होंने 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया।

एक सक्रिय सांसदविद श्री परांजपे ने लोक सभा की कार्यवाहियों में भी भाग लिया। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे जैसे याचिका समिति, रक्षा संबंधी समिति और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति।

श्री दादा बाबूराव परांजपे का 27 सितम्बर, 1999 को 77 वर्ष की आयु में जबलपुर, मध्य प्रदेश में निधन हुआ।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, अब हम इस वर्ष करगिल आपरेशन में मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजली अर्पित करेंगे। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों के लिए भारत द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों के तुरन्त बाद हम पर एक युद्ध जैसी स्थिति थोप दी गई। देश की सशस्त्र सेनाओं ने इस चुनौती का सामना साहस के साथ किया और विश्व के अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में और कठिन परिस्थितियों में सैनिक कार्रवाई कर घुसपैठियों को खदेड़कर बाहर कर दिया।

हम करगिल के वीरों के प्रति राष्ट्र का आभार प्रकट करते हैं और वीर सैनिकों के शोक संतप्त 540 परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं, राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान को सदैव आभारी रहकर याद करेगा।

हम दो अन्य त्रासदियों - पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना और उड़ीसा, आँध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान पर भी गहरा दुख व्यक्त करते हैं।

2 अगस्त, 1999 को हुई इस त्रासद रेल दुर्घटना में गुवाहाटी जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस की दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल से गैसल रेलवे स्टेशन पर आमने-सामने से भिड़न्त हो गई जिसमें 287 लोगों की मौत हो गई इनमें 47 सुरक्षा कर्मी भी थे। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए थे।

दूसरी दुर्घटना में, 18 अक्तूबर, 1999 को उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में आये भीषण चक्रवात में लगभग 100 व्यक्ति मारे गए, अनेकानेक घायल हुए और बहुत से लोग बेघर हो गए। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी इस चक्रवात से व्यापक पैमाने पर क्षति हुई।

हम इन दिवंगत व्यक्तियों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदयः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री आडवानी

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर बैठिए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अभी नहीं। कृपया अपने स्थानों पर बैठें।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)**

अपराह्न 1.18 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं गोवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की 10 फरवरी, 1999 की पूर्ववर्ती उद्‌घोषणा को संविधान के

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत वापस ली जाने वाली 9 जून, 1999 को जारी उद्घोषणा, जो 9 जून, 1999 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि 419 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3/99]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 1)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4/99]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 21 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 8)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-5/99]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 28 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 9)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-6/99]

... (व्यवधान)

अपराह्न 1.19 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं बारहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा 15 अप्रैल, 1999 को सभा को सूचित करने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ:

(एक) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1999,

(दो) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1999, और

(तीन) वित्त विधेयक, 1999।

मैं बारहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की प्रतियां, जोकि राज्य सभा के महासचिव द्वारा प्रमाणित हैं, को भी सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक, 1999;

(दो) संसद सदस्य, वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999;

(तीन) पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1999; और

(चार) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1999।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 26 अक्तूबर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1999/4 कार्तिक, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।